2-2

(7)

संख्या- 111C /111(2)/14-52(प्रा0आ0)/2013

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून: दिनांक: 26 फरवरी, 2014

लो0नि0 अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 13 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा संलग्न ... विभिन्न 13 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी ... प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये ... लागत ₹ 577.32 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई ... 92.15 कि0मी0 + 04 सेतु तथा ... (₹ पाँच करोड़ सतत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ... ₹ 577.32 लाख ... संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ... मात्र वित्तीय वर्ष 2013-14 में ... अर्थात कुल 1.30 कार्य हेतु ₹ 1.30 लाख (₹ एक लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु ... रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

... में रखा जाने की ... कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा।

... स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को ... 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार शासनादेश सं0-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक ... प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु ... प्रारम्भ किया जायेगा।

... अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

... आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों ... शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार ... अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

... दरों पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म हैं, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न ... यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत ... तैयार करते समय किया जायेगा।

... कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग ... समय पालन करना सुनिश्चित करें।

... दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय ... मद में किया जाय, एक मद का दूसरे ... आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, ... कदापि न किया जाय।

... किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर ... इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का ... समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

... 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा ... किया जायेगा।

... सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0- ... कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

... का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय ... आदि मदों के सम्बन्ध में ... स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग ... पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य ... अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर ... भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण ... आयोजनागत 800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु ... रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

... वित्तीय आय-व्ययक में प्राविधानित नियतन पर

(8)

(A+B+P)

स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता होगा।

वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क न्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन / मानक, पूर्ण रूप थवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते तदनुसार कार्यवाही की जाय।

इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान 22-लेखाशीर्षक-5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत 0-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-753(A)/XXVII/(2)/2013 दि0: 19 फरवरी, 2014 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

या:- (1)/III(2)/14-52(प्रा0आ0)/2013 तद्दिनांक।

लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल पौडी / नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल / कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौडी / अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड
देहरादून

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

395/ ... दि. 26-02-2014

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता ... अध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

CDA+PDA
-3-

शासनादेश संख्याः- 1110 / 111(2) / 14-52(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 20 फरवरी, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत भगरतोला-चमुता-कपकोली मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	8.00	61.29 (₹ 46.80 + ₹ 14.49 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत कुंजाखाली-गहताण मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	6.00	45.97 (₹ 35.10 + ₹ 10.87 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जैती-बॉजधार-मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	23.45 (₹ 17.55 + ₹ 5.90 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
4	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत दूबरौली से जाख तिवारी-पंचदवलेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	6.00	46.89 (₹ 35.10 + ₹ 11.79 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
5	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-379 / 2013 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में बागनाथ मन्दिर से नुमाईशखेत जोड़ने हेतु 65 मी0 झूला पुल का निर्माण कार्य।	65 mt	3.44	0.10
6	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-374 / 2013 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बागेश्वर-बेरीनाग मोटर मार्ग में सरयू नदी पर 54 मी0 स्पान स्टील गर्डर मोटर पुल का निर्माण।	54 mt	4.32	0.10
7	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में ब्लॉक बेरीनाग में प्रेमनगर से ग्राम मड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00 + 01	64.26	0.10
8	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में पॉखू से लछीमा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10.00	58.50	0.10
9	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में भाटगाड़ा से फडियाली नायल पध्या तक 10.00 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	10.00	58.50	0.10
10	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में चहज से रिनलेख सुरखाल मोटर मार्ग 15 कि0मी0 डामरीकरण।	15.00	2.55	0.10
11	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में बनकोट ब्रसखोली मोटर मार्ग का कि0मी0 1.00 से कि0मी0 2.15 तक सुधार, सुदृढ़ीकरण व डामरीकरण का कार्य।	2.15	0.37	0.10

(10)

सनादेश संख्याः— 1110 / 111(2) / 14—52(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 20 फरवरी, 2014 का संलग्नक

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0:—203 / 2013 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र—थराली के विकासखण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग एवं 60 मी0 स्पान सेतु का निर्माण।	8.00 + 60mt	125.88 (₹ 51.00 + ₹ 74.80 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत तवाघाट से थानीधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	14.00	81.90	0.10
योगः—	92.15 + 04	577.32	1.30

(कुल ₹ एक लाख तीस हजार मात्र)

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव